XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

27.11.2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–76/2011

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

श्री बड़कू टुडु, पिता–स्व0 छोटेलाल टुडु, साकिन–देवीनगर, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ. .... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार................. विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी पुत्री की शादी तथा अपने बिमारी के इलाज में होनेवाले खर्च के लिये मौजा–देवीनगर, थाना नं0–137, खाता नं0–155 (अंश), खेसरा नं0–588 (अंश), रकवा–0.50 एकड़ जमीन मोतीउर्रहमान, पिता–स्व0 ताहीर अंसारी, निवासी–मधुबनी बाजार, थाना'–के0हाट के साथ बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (G) अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा–देवीनगर, थाना नं0–137, जिला–पूर्णियाँ अन्तर्गत खाता नं0–155 (अंश), खेसरा नं0–588 (अंश), रकवा–1.62 एकड़ (एक एकड़ बासठ डिसमिल) जमीन बन्दोवस्ती वाद संख्या–24/1980–81 द्वारा प्राप्त है, जिसका जमाबन्दी नं0–65/3 है। आवेदक उक्त भूमि पर दखलकार है। वह अपनी पुत्री की शादी एवं अपने इलाज हेतु प्रश्नगत जमीन बिक्री करना चाहता है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, के0 नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयीं अंचलाधिकारी, के0नगर ने अपने पत्रांक 808, दिनांक 10.08.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये है, जिसमें वर्णित है कि :–

आवेदक बड़कू टुडु उर्फ बड़कू किस्कू, पिता–स्व0 छोटे लाल टुडु उर्फ छोटे लाल किस्कू, साकिन–देवीनगर के नाम मौजा–देवी नगर, थाना नं.–137, खाता नं0–155, खेसरा नं0–588, रकवा–1.62 एकड़ जमीन पंजी–II, जमाबन्दी नं0–65/3 पर दर्ज एवं लगान अद्यतन वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

आवेदक द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन का ब्यौरा मौजा–देवीनगर, थाना नं0–137, खाता नं0–155, खेसरा नं0–588, रकवा–0.50 एकड़ जमीन है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

आवेदक के द्वारा बिक्री के पश्चात् धारित भूमि 1.12 एकड़ जमीन अवशेष बचता है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। प्रश्नगत भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, बिहार सरकार से मुक्त है। अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को स्वंय ईलाज कराने एवं पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ 27/… समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	